संख्या 462 /XII/2010/82(07)/2010

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 08 जून, 2010

विषयः-- त्रिस्तरीय पंचायतों के महिला प्रतिनिधियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 291/2–पं0/लेखा/2010–11 दिनांक 29 मई, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायतों में चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायतीराज-- 13–त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु–42–अन्य व्यय में से रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) तथा अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायतीराज–09–त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु–42–अन्य व्यय में रूपये 10.00 लाख(रूपये दस लाख मात्र) प्रथम किस्त के रूप में आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित योजनाओं हेतु एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार व्यय किया जायेगा।

3. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी/ जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय ।

4. धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा ।

5 उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र–बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

6 योजनाओं की रूप रेखा एवं प्राकक्लन एवं स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति उपलब्ध कराये जाने पर द्वितीय किस्त स्वीकृत की जायेगी।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 276/XXVII(I)/2010, दिनांक 25 मई, 2010 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव ।

क्रमशः.....2....पर

92

संख्या 462(1)/XII/10/82(07)/2010 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी/समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
3 समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
4 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून ।
5 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तराखण्ड देहरादून ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन ।
8 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय देहरादून ।
9 गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(जे०एल० शर्मा)

अनु सचिव ।